



THE **JHARKHAND GAZETTE** **EXTRAORDINARY** **PUBLISHED BY AUTHORITY**

No. 667

22 Bhadra, 1938 (S)

Ranchi, Wednesday, 13th September, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

13th September, 2017

S.O. No. 76- Dated. 13th September, 2017-- In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37, first proviso to sub-section (2) of section 38 and sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and in supersession of notifications published in the Jharkhand Gazette vide S.O. No. 65 dated 18 August, 2017, S.O. 66 dated 18 August, 2017 and S.O. 67 dated 18 August, 2017,

the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details or return, as the case may be, specified in sub-section (1) of section 37, sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the said Act as specified in column (3) of the Table below for the

month as specified in column (2) of the said Table, till the time period as specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, namely:-

Table

Sl.No.	Month	Details / Return	Time Period for furnish of details / Return
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	July, 2017	FORM GSTR-1	Upto 10 th September, 2017
		FORM GSTR-2	11-25 th September, 2017
		FORM GSTR-3	Upto 30 th September, 2017
2.	August, 2017	FORM GSTR-1	Upto 5 th October, 2017
		FORM GSTR-2	6-10 th October, 2017
		FORM GSTR-3	Upto 15 th October, 2017

2. This notification shall be deemed to be effective from the 5th day of September, 2017.

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2017]
By the order of the Governor of Jharkhand

K. K. Khandelwel,
Principal Secretary-cum Commissioner

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

13 सितम्बर, 2017

एस० ओ० 76- दिनांक 13 सितम्बर, 2017-- आयुक्त, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) के दूसरे पंरतुक, धारा 38 की उपधारा (2) के पहले परंतुक तथा धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना एस० ओ० 65 दिनांक 18 अगस्त, 2017, एस० ओ० 66, दिनांक 18 अगस्त, 2017 एवं एस० ओ० 67 दिनांक 18 अगस्त, 2017 को अधिकांत करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1), धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 उपधारा (1) आयुक्त में विनिर्दिष्ट, यथाविनिर्दिष्ट, ब्यौरा या विवरणी देने की समय-सीमा को उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समययावधि तक बढ़ाते हैं, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं०	मास	विवरणी/ब्यौरा	विवरणी/ब्यौरा देने की समयावधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1-	जुलाई, 2017	प्रारूप जीएसटीआर-1	10 सितंबर, 2017 तक
		प्रारूप जीएसटीआर-2	11-25 सितंबर, 2017 तक
		प्रारूप जीएसटीआर-3	30 सितंबर, 2017 तक
2-	अगस्त, 2017	प्रारूप जीएसटीआर-1	5 अक्टूबर, 2017 तक
		प्रारूप जीएसटीआर-2	6-10 अक्टूबर, 2017 तक
		प्रारूप जीएसटीआर-3	15 अक्टूबर, 2017 तक

2. यह अधिसूचना 5 सितम्बर, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/04/2017]

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,
प्रधान सचिव-सह-आयुक्त ।